अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

39/2022/25 प्रभुराम V/s गोपाल सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर GA-2 श्री दिनेश कुमार श्री जितेन्द्र सिंह / गिरिराज यादव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
13/10/22		

प्रभु राम बनाम गोपाल सिंह वगैरह (2022/39)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के तहत् मौका रिपोर्ट स्वयं भू–अभिलेख निरीक्षक सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में बनायेगा। उक्त प्रावधान के तहत् एक पक्षीय रिपोर्ट को वैध नही माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट एक पक्षीय रिपोर्ट को वैध नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट एक पक्षीय रूप से बनाई गयी है यदि अपीलांटस को भी मौका रिपोर्ट बनाते समय सुना गया होता तो अपीलांटस यह बताते कि रेस्पोडेन्टस वर्तमान में अपने खेत में किस रास्ते से आवागमन् करता है। रेस्पोडेन्ट के खेत में आने--जाने हेतु जो वैकल्पिक रास्ता चल रहा है जिसका उपयोग व उपभोग वह कर रहा है।उक्त वैकल्पिक रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है इस कारण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का आदेश दिनांक 26.02.2021 निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् नया रास्ता स्वीकृत करने के लिए दो शर्तो आवश्यक है:–1. आवश्यकता आवश्यक है (Necessity is absolute Necessary) 2. दूसरा उपलब्ध नहीं है (Absent of the alternative is Means of access.) कानूनन यदि पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तो सुविधा के लिए दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता है जबकि उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांटस के खेत का स्वरूप बिगाड़ना चाहता है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय. न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.बी.जे.(26) 2019 पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 93 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। इसलिए प्रार्थी के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 94 की रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 93 के उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 74, 78, 77 के खेत स्थित है तथा खसरा नम्बर 94 के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 107/2 व खसरा नम्बर 95 के खेत स्थित है। प्रार्थी सड़क से खसरा नम्बर 93 तक पहुँचने के लिए खसरा नम्बर 94 के उत्तर सींव के सहारे एवं खसरा नम्बर 694/100 में से 30 फीट का रास्ता जो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 93 के पूर्वी सीमा तक चाहते है और उक्त रास्ता होकर प्रार्थी अपने खेत तक आ जा सकते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में कोई दुर्भावना या दुराशय नही है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 93 के आवागमन हेतु उपरोक्त ,खसरा नम्बर 94 एवं 694/100 गै. मु. छापर में से ही एक मात्र लघुत्तम, निकटतम, सुविधाजनक

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

39/2022/225 प्रभुराम V/s गोपाल

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
2022/39	श्री ... श्री ... 4P2

लगातार

रास्ता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.02.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई थी तहसीलदार, रूपनगढ़ ने केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट को अपने जवाब प्रार्थना पत्र में शामिल किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तहसीलदार, रूपनगढ़ के जवाब प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर जो आदेश पारित विधि सम्मत नहीं है क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट केवल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.07.2020 को तैयार की गई थी जिसमें किसी पक्षकार (प्रार्थी व अप्रार्थी) के हस्ताक्षर नहीं है यानि की बिना पक्षकारो की उपस्थिति में बनाई गयी थी। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में न्यायालय नियम 68–69 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बनायी जानी चाहिए। उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वें प्रकरण में अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर उनकी आपत्ति का मौके पर निस्तारण कर पुनः आदेश पारित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ प्रकरण संख्या 18/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवायें तथा मौके पर ही आपत्ति का निस्तारण करते हुए धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के सुसगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः 30 दिवस में जिसमें सप्ताह भर की चार तारीख पेशी देकर प्रकरण का निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में दिनांक 04.11.2022 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर